

फर्द अहकाम

विकास सिंह व अन्य

बनाम

राजस्थान सरकार

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष नियंत्रण
06.2025	<p>वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दीहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम नेवटा पटवार हल्का नेवटा, भूअभि.नि. क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्य 290 के खसरा नम्बर 1263, 1264, 1265, 1274/2731, 1275, 1276/2730, 1277, कुल किता 7 कुल रकबा 2.1800 है0 का सीमाज्ञान उपतहसीलदार बगरु के आदेश क्रमांक:भू0अ0/सीमाज्ञान/681-82 दिनांक 22.06.2021 की पालना में दिनांक 01.07.2021 को मौके पर उपस्थित मौतविरान के समक्ष मुस्तकिल बिन्दु ख0सं0 1271 गै.मु.चाह से जरीब चलाकर उपरोक्त खसरा नम्बरान का सीमांकन कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.07.2021 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर उपतहसीलदार बगरु को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम नेवटा पटवार हल्का नेवटा, भूअभि.नि. क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्य 290 के खसरा नम्बर 1263, 1264, 1265, 1274/2731, 1275, 1276/2730, 1277, कुल किता 7 कुल रकबा 2.1800 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 01.07.2021 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर जिला (सांगानेर)